अनुदान संख्या 53 - पुलिस
GRANT No. 53 - POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged-*				
मूल	*Original*	*4,26,00*	*4,32,00*	*2,39,91*	*-1,92,09*
पूरक	*Supplementary*	*6,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*26,00*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	23335,48,00	29125,04,00	28876,36,55	-248,67,45
पूरक	Supplementary	5789,56,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged-*		*7,90,00*	*6,28,82*	*-1,61,18*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	6822,57,00	7426,59,00	4959,99,52	-2466,59,48
पूरक	Supplementary	604,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2172,67,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(₹192.09 लाख)* अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए *₹6.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और जो कुल स्वीकृत *विनियोग* का 44 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नानुसार हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(₹192.09 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *₹6.00 lakhs* obtained in August, 2010 and constituted 44 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings occurred as under:-

(I) ₹6.00 लाख का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of ₹6.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹*98.71* लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत *विनियोग* का 66 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹*98.71 lakhs* occurred constituting 66 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	2175151.00			
पू.	S.	480956.00	2688886.35	2668766.62	-20119.73
पु.	R.	32779.35			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को	Grants- in- aid to				
सहायता अनुदान	State Governments				
मू.	O.	157076.00			
पू.	S.	98000.00	222296.65	217768.93	- 4527.72
पु.	R.	-32779.35			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को	Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	Union Territory Governments		1321.00	1101.00	-220.00

(I) ₹31179.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹31176.00 लाख मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "विशेष पुलिस - सीमा जांच चौकियां" - ₹1500.00 लाख - जैसी परिकल्पना की गई थी वैसे व्यावसायिकों को काम पर न रखने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने और त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से मांगें प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) "दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेशन" - ₹8050.00 लाख महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा एटीपी परियोजना को पूरा न कर पाने के कारण थे।

(गा) "सीमा प्रबंधन" -

(क) "बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" - ₹4120.00 लाख; और

(ख) "अपराध और आपराधिक तंत्र प्रणालियां" - ₹17506.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उप शीर्ष अन्य व्यय के बजाय असावधानीवश लघु शीर्ष सीमा प्रबंधन के अंतर्गत दर्शाए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत ₹102000.00 लाख के मूल प्रावधान को अगस्त, 2010 में ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹103000.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹4036.29 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम व्यय किए जाने की प्रवृत्ति की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹31179.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2011) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹31176.00 lakhs accounted for under Major Head "2055" – under the following heads:-

(A) "Special Police – Border Check Post" – ₹1500.00 lakhs – due to non-hiring of professionals as envisaged, non-finalisation of proposals and non-receipt of demands from State Governments of Tripura, Assam, Meghalaya and West Bengal.

(B) "Delhi Police – Induction of Latest Technology in Delhi Police" – ₹8050.00 lakhs – due to non-completion of ATP project by the Mahanagar Telephone Nigam Limited.

(C) "Border Management"-

(a) "Modernisation of Police Forces of the UTs without Legislature" – ₹4120.00 lakhs; and

(b) "Crime and Criminal Network Systems" – ₹17506.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to sub head shown inadvertently under Minor Head Border Management instead of Other Expenditure.

(II) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants-Police - Modernisation of Police Force - Strengthening of State Police Organisations" - the original provision of ₹102000.00 lakhs was augmented to ₹103000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs in August, 2010. However, there was a saving of ₹4036.29 lakhs (including supplementary grant) – due to reduction of provision at revised estimates stage owing to low trend of expenditure and availability of unspent balances of previous year.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" - ₹147.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3758.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3905.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, आंकड़ा केन्द्र के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, आरआरटी, व्यावसायिक सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कुछ प्रस्तावों के लिए सचिवों की मंत्रिमंडल समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण ₹2895.84 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "सीमा सुरक्षा बल" -

(i) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" - ₹527183.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹162108.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹689291.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ठेकेदारों से भंडारों के प्राप्त न होने, विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने, कम दावे प्राप्त होने और फोर्स वन सेक्टर के लिए हवाई कुरियर सेवा की शुरुआत न हो पाने के कारण ₹19495.52 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "भारत-तिब्बत सीमा पुलिस" - ₹142991.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹24724.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹167715.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, कपड़े के टेंटों और राशन सामग्री की खरीद के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने, कम दौरे किए जाने, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने, केन्द्रीय लोक

(III) Supplementary grant obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2055"-

(a) "Direction and Administration – National Intelligence Grid" - the original provision of ₹147.00 lakhs was augmented to ₹3905.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3758.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2895.84 lakhs – due to non-finalisation of proposal for Data Centre, requirement of less funds for RRT, professional services and IT, non-receipt of approval from Cabinet Committee of Secretaries for some proposals and economy measures.

(b) "Border Security Force" –

(i) "Directorate General of Border Security Force" - the original provision of ₹527183.00 lakhs was augmented to ₹689291.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹162108.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹19495.52 lakhs – due to non-receipt of stores from the contractors, non-materialisation of proposals for procurement of various items, less tours undertaken, receipt of less claims and non-starting of air courier service for force one sector.

(ii) "Indo-Tibetan Border Police" - the original provision of ₹142991.00 lakhs was augmented to ₹167715.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹24724.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹5932.76 lakhs – due to non-materialisation of proposals for purchase of clothing tentage and ration

निर्माण विभाग द्वारा कार्य धीमी गति से किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण ₹5932.76 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

items, less tours undertaken, non-receipt of claims from Directorate General of Supplies and Disposals, slow progress of work by the Central Public Works Department and economy measures.

(ग) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - स्थापना" - ₹31213.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹36413.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, रेंज स्नाइपर राइफलों और प्रक्षेपकों की खरीद हेतु प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और पूर्तिकर्ता से भण्डार प्राप्त न होने के कारण ₹169.99 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(c) "National Security Guard - Establishment" - the original provision of ₹31213.00 lakhs was augmented to ₹36413.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5200.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹169.99 lakhs – due to non-materialisation of proposals for purchase of Range Sniper Rifles and Projectors and non-receipt of stores from the supplier.

(घ) "सशस्त्र सीमा बल - स्थापना" - ₹116635.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹25000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹141635.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने, वस्त्र और टेंटों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, बिल प्राप्त न होने तथा हाल ही में खड़ी की गई बटालियनों के लिए शस्त्र और गोला बारूद की पूर्ति के लिए ओएफडी, कोलकाता द्वारा असमर्थता जताए जाने के कारण ₹2600.04 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(d) "Sashastra Seema Bal - Establishment"- the original provision of ₹116635.00 lakhs was augmented to ₹141635.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹25000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2600.04 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposal for procurement of clothing and tentage, non-receipt of bills and inability shown by the OFD, Kolkatta to supply arms and ammunition for the newly raised battalions.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601"- "योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - राज्यों को विशेष सहायता" - ₹40000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹97000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹137000.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, हेलीकाप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, विमान-वहन प्रभारों के बिलों के प्राप्त न होने और पंजाब सरकार से मांगें प्राप्त न होने के कारण ₹37094.27 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Police – Other Grants - Special Assistance to States" - the original provision of ₹40000.00 lakhs was augmented to ₹137000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹97000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹37094.27 lakhs – due to non-finalisation of proposals for procurement of helicopters from Ministry of Defence and non-receipt of bills of airlifting charges and non-receipt of demands from Punjab Government.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2055" – savings occurred under the following heads :-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - केन्द्रीय परा सैन्य बलों का विभागीय लेखा संगठन'' - ₹1136.48 लाख की बचत (₹5280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कर्मचारियों से कम दावे प्राप्त होने, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से दावे प्राप्त न होने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान'' - ₹231.96 लाख की बचत (₹775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो'' - ₹516.89 लाख की बचत (₹2245.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित हो जाने तथा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता'' -

(क) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला'' - ₹1064.38 लाख की बचत (₹2325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दिहाड़ी मजदूरों को काम पर रखने, कम दौरे किए जाने और वैज्ञानिक उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक'' - ₹262.14 लाख की बचत (₹785.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कैंटीन कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, वैज्ञानिक उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई ।

(A) "Direction and Administration – Departmental Accounting Organisation of Central Para Military Forces" – saving of ₹1136.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5280.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims from employees, non-receipt of claims from Directorate General of Supplies and Disposals, receipt of less medical claims and economy measures.

(B) "Education and Training – National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of ₹231.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹775.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposals and slow progress of work by the Central Public Works Department.

(C) "Research - Bureau of Police Research and Development" – saving of ₹516.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2245.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, postponement of training programmes of Rajasthan Police and non-receipt of bills from Directorate General of Supplies and Disposals.

(D) "Criminal Investigation and Vigilance"-

(a) "Central Forensic Science Laboratory"- saving of ₹1064.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2325.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less daily wagers, less tours undertaken and non-receipt of approval of the competent authority for procurement of scientific equipments.

(b) "Government Examiner of Questioned Documents" – saving of ₹262.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹785.00 lakhs) was due to less tours undertaken, non-appointment of canteen employees, non-receipt of approval of the competent authority for procurement of scientific equipments and economy measures.

(ङ) "विशेष पुलिस - अनुसंधान" - ₹173.79 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निष्पादनकारी अभिकरणों से बिलों के प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(E) "Special Police – Research"- saving of ₹173.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was due to delay in receipt of bills from the executing agencies.

(चा) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण - आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली पुलिस को सहायता" - ₹2555.80 लाख की बचत (₹12240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और निष्पादनकारी अभिकरणों से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(F) "Modernisation of Police Force – Assistance to Delhi Police for Modernisation" – saving of ₹2555.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12240.00 lakhs) was due to non-finalisation of various proposals and non-receipt of bills from executing agencies.

(छा) "सीमा प्रबंधन - भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य" - ₹445.37 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण हुई।

(G) "Border Management – Indo-Pak Border Works" – saving of ₹445.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - विद्रोह का विरोध करने और आतंकवाद विरोधी विद्यालय को सहायता" के अंतर्गत ₹176.00 लाख की बचत (₹1076.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावों का अनुदान प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Police - Other Grants – Assistance to Counter Insurgency and Anti Terrorist School" – saving of ₹176.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1076.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of the proposals from the Competent Authority.

(VI) मुख्य शीर्ष "3602"- "योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत ₹219.00 लाख की बचत (₹1320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head – "3602" – "Non-Plan Grants – Police - Modernisation of Police Force – Strengthening of Police Organisations in UTs with Legislature" – saving of ₹219.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Union Territory Governments.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹165.09 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 84 प्रतिशत थीं।

(VII) Under two heads savings of ₹165.09 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 16 percent and 84 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹85798.14 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में ₹274356.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

3.(I) The above savings were partly (₹85798.14 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹274356.00 lakhs in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under Major Head "2055" – under the following heads:-

(का) "शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" - ₹844.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹767.88 लाख था।	(A) "Education and Training – National Police Academy" – ₹844.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹767.88 lakhs.
(खा) "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - न्यायिक विज्ञान निदेशालय" - ₹1299.79 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1211.30 लाख था।	(B) "Criminal Investigation and Vigilance – Directorate of Forensic Science" – ₹1299.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹1211.30 lakhs.
(गा) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - स्थापना" - ₹18095.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹18210.72 लाख था।	(C) "Central Reserve Police – Establishment" - ₹18095.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹18210.72 lakhs.
(घा) "असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन" - ₹9236.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8800.85 लाख था।	(D) "Assam Rifles – Establishment and Administration" - ₹9236.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8800.85 lakhs.
(ङ) "औद्योगिक सुरक्षा पुलिस - निदेशन और प्रशासन" - ₹32991.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹32643.58 लाख था।	(E) "Industrial Security Force-Direction and Administration" - ₹32991.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹32643.58 lakhs.
(चा) "दिल्ली पुलिस - निदेशन और प्रशासन" - ₹2402.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1524.34 लाख था।	(F) "Delhi Police – Direction and Administration" – ₹2402.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1524.34 lakhs.
(छा) "अन्य व्यय" -	(G) "Other Expenditure"-
(क) "आंसू गैस सामग्री का क्रय, विनिर्माण और वितरण" - ₹640.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹371.41 लाख था।	(a) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" – ₹640.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹371.41 lakhs.
(ख) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" - ₹3905.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3451.74 लाख था।	(b) "Modernisation of Police Forces of the Union Territories without Legislature" - ₹3905.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3451.74 lakhs.
(ग) "अपराध और आपराधिक तंत्र प्रणाली" - ₹14775.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12332.79 लाख था।	(c) "Crime and Criminal Net Work System" – ₹14775.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12332.79 lakhs.
(घ) "नक्सल प्रबंधन के लिए सहायता" - ₹1610.35 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1610.34 लाख था।	(d) "Assistance for Naxal Management" – ₹1610.35 lakhs. Actual excess, however, was ₹1610.34 lakhs.
(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-	(II) Savings were also offset by excess under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2055"-

(क) "शिक्षा और प्रशिक्षण - पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" - ₹103.24 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शस्त्रों और गोला बारूद की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "दिल्ली पुलिस - सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ" - ₹199.97 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिग्नलों और ब्लिंकरों के मुद्रण और उनके रखरखाव संबंधी बिलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) "अन्य व्यय - अन्य सरकारों/विभागों को अदा किया गया प्रभार" - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिकों को काम पर रखने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान"-

(i) "भारत आरक्षी बटालियनें" - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों से प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त लंबित बिलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति" - ₹499.49 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में संकटकालीन अवसंरचना" - ₹3000.00 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(A) "Major Head "2055" –

(a) "Education and Training – North Eastern Police Academy" – excess of ₹103.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of arms and ammunitions.

(b) "Delhi Police – Road Safety Cell" – excess of ₹199.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear bills for printing and maintenance of signals and blinkers.

(c) "Other Expenditure - Charges paid to other Govts./Deptts." - excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for hiring of professionals.

(B) Major Head "3601" –

(a) "Non-Plan Grants - Police-Other Grants"-

(i) "India Reserve Battalions" – excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear pending bills received from North Eastern States for reimbursement.

(ii) "Reimbursement to States for deployment of Battalions" – excess of ₹499.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(b) "Grants for State Plan Schemes - Police - Other Grants - Critical infrastructure in extremist Affected Areas" – excess of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds to clear reimbursement claims received from the State Governments.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹100.00 lakhs occurred constituting 33 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नानुसार हुईं:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) *₹70.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹70.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹52.69 लाख* की बचत हुई, जो स्वीकृत *विनियोग* का 88 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of *₹52.69 lakhs* occurred constituting 88 percent of the sanctioned *appropriation.*

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹246659.48 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹60402.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹246659.48 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹60402.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and constituted 33 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	672457.00			
पू.	S.	60402.00	515592.00	486265.64	-29326.36
पु.	R.	-217267.00			

(I) ₹600.20 लाख का प्रावधान (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹600.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹600.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹600.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(का) "दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस आवास पर सार्वजनिक भागीदारी पहल" - ₹200.00 लाख;

(A) "Delhi Police – Public Partnership Initiative on Delhi Police Housing" – ₹200.00 lakhs;

(खा) "सीमा प्रबंधन" -

(B) "Border Management"-

(क) "भारत-नेपाल सीमा निर्माण-कार्य" - ₹200.00 लाख; और

(a) Indo-Nepal Border Works" - ₹200.00 lakhs; and

(ख) "भारत-भूटान सीमा निर्माण-कार्य" - ₹200.00 लाख।

(b) "Indo-Bhutan Border Works" – ₹200.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above three heads remained unutilized due to non-finalisation of proposals.

(II) "केंद्रीय आरक्षी पुलिस - आधुनिकीकरण" के अंतर्गत ₹1516.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7716.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹6367.58 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) मशीनरी और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Central Reserve Police - Modernisation" – the original provision of ₹1516.00 lakhs was augmented to ₹7716.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6367.58 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of proposals for procurement of machinery and equipments.

(III) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - सामान्य" - ₹16800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹11200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹28000.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, पूर्तिकर्ताओं से बिलों के प्राप्त न होने के कारण ₹1918.76 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Central Reserve Police - General" – the original provision of ₹16800.00 lakhs was augmented to ₹28000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1918.76 lakhs - due to non-receipt of bills from the suppliers.

(खा) "सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय"- ₹51000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹33500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹84500.00 लाख कर दिया

(B) "Border Security Force – Directorate General of Border Security Force" - the original provision of ₹51000.00 lakhs was augmented to ₹84500.00 lakhs by obtaining supplementary grant

गया था, जो तथापि, प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और पूर्तिकर्ताओं द्वारा भंडार की पूर्ति न किए जाने के कारण ₹18179.59 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

of ₹33500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹18179.59 lakhs - due to non-materialisation of proposals and non-supply of stores by the suppliers.

(गा) "औद्योगिक सुरक्षा बल - आवासीय भवन" - ₹2000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4000.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, प्रस्तावों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधार पर प्रशिक्षण परियोजना जो आवासीय भवन (योजना) कार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के अंतर्गत शामिल की जा रही है, को मूर्त रूप न दिए जाने, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण ₹1246.64 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Industrial Security Force – Residential Buildings" - the original provision of ₹2000.00 lakhs was augmented to ₹4000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1246.64 lakhs - due to non-materialisation of proposals and training project on PPP basis as work RB (Plan) is being covered under PPP Project, slow progress of work by National Building Construction Corporation and Central Public Works Department.

(IV) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(IV) Savings also occurred under the following heads:-

(का) "असम राइफल्स" -

(क) "सामान्य" - ₹1036.56 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "आधुनिकीकरण" - ₹1339.09 लाख की बचत (₹3100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Assam Rifles" -

(a) "General" - saving of ₹1036.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs); and

(b) "Modernisation" - saving of ₹1339.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्तिकर्ताओं से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of bills from the supplier.

(खा) "सीमा सुरक्षा बल - भारत-तिब्बत सीमा पुलिस" - ₹2798.52 लाख की बचत (₹27399.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और भारी वर्षा तथा आवासीय भवनों के स्थानान्तरण की वजह से सीमा चौकियों पर कार्य धीमी गति से होने के कारण हुई।

(B) "Border Security Force – Indo-Tibetan Border Police" – saving of ₹2798.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27399.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for procurement of motor vehicles and slow progress of work at Border Outposts owing to heavy rain and shifting of residential buildings.

(गा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" -

(क) "सामान्य" - ₹1911.43 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन-क्रॉस

(C) "National Security Guard"-

(a) "General" – saving of ₹1911.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-

साइटिंग सिस्टम की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

materialisation of proposals for procurement of N-cross Sighting System.

(ख) "आधुनिकीकरण" - ₹661.24 लाख की बचत (₹1040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जेनरेटर सेटों, रेडियो सेटों और रात्रि में देख सकने में सक्षम चश्मों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Modernasation" – saving of ₹661.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1040.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for procurement of Generator Sets, Radio sets and Night Vision Goggles.

(घा) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण" -

(D) "Research, Education and Training" -

(क) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान" - ₹531.05 लाख की बचत (₹599.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी, उपस्करों और मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण हुई।

(a) "National Institute of Criminology and Forensic Science" – saving of ₹531.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹599.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of machinery, equipments and motor vehicles and slow progress of work by the Central Public Works Department.

(ख) "पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" - ₹1143.78 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1501.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के निर्माण की लागत में वृद्धि की वजह से कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Bureau of Police Research and Development " - saving of ₹1143.78 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-materialisation of proposals for construction of office complex owing to escalation in construction cost of the project.

(ग) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" - ₹494.99 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय ब्लॉकों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹494.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for construction of residential blocks.

(ङ) "पुलिस आवास - पुलिस निजी भागीदारी पहल सीपीएमएफ आवास" - ₹192.44 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(E) "Police Housing – Police Private Partnership Initiative CPMFs Housing" – saving of ₹192.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-finalisation of schemes.

(चा) "दिल्ली पुलिस" -

(F) "Delhi Police" –

(क) "आवासीय भवन" - ₹285.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(a) "Residential Buildings" - saving of ₹285.00 lakhs (against the sanctioned

आवासीय भवनों के मरम्मत के मुख्य कार्यों के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और लोक निर्माण विभाग से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for major repair works of residential buildings and non-receipt of bills from Public Works Department.

(ख) "सामान्य" - ₹6155.54 लाख की बचत (₹13900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपस्करों के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "General" – saving of ₹6155.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13900.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for machinery and equipments.

(छा) "सशस्त्र सीमा बल" -

(G) "Sashastra Seema Bal" -

(क) "आवासीय भवन" - ₹320.63 लाख की बचत (₹3779.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Residential Buildings" – saving of ₹320.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3779.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals.

(ख) "सामान्य" - ₹2459.77 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाल ही में खड़ी की गई बटालियनों के लिए वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "General" – saving of ₹2459.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of vehicles for newly raised battalions

(ग) "आधुनिकीकरण" - ₹5112.83 लाख की बचत (₹6800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी उपस्करों और मोटर वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Modernisation" – saving of ₹5112.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6800.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for procurement of machinery equipments and motor vehicles.

(जा) "सीमा प्रबंधन" -

(H) "Border Management" -

(क) "भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण-कार्य" - ₹48064.78 लाख की बचत (₹94474.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने, 62 कि.मी. के फैले क्षेत्र में डम्पा बाघ रिजर्व का कार्य शुरू करने के लिए वन और वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक अनापत्ति को अंतिम रूप न दिए जाने और निष्पादनकारी अभिकरणों द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण हुई।

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" – saving of ₹48064.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹94474.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for acquisition of land, non-finalisation of statutory clearance over a stretch of 62 km. under Forest & Wildlife Act for taking up of work in Dampa Tiger Reserve and slow progress of work by the executing agencies.

(ख) "भारत-पाक सीमा निर्माण-कार्य" - ₹5014.60 लाख की बचत (₹19704.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "भारत-चीन सीमा" - ₹2979.09 लाख की बचत (₹30800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च तकनीक वाले उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और सीमा सड़क संगठन द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण हुई।

(घ) "भारत-म्यांमार सीमा निर्माण-कार्य" - ₹1237.66 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और उच्चतम न्यायालय से अनापत्ति प्राप्त न होने की वजह से सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(झ) "तटीय सुरक्षा" -

(क) "तटीय सुरक्षा के लिए राज्यों को सहायता" - ₹5608.00 लाख की बचत (₹0.80 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18271.80 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तटीय सुरक्षा की मशीनरी और उपस्करों के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

(ख) "तटीय सुरक्षा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" - ₹973.89 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ञ) "अन्य पुलिस संगठन" -

(क) "समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)" - ₹391.75 लाख की बचत (₹701.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से बेतार उपस्कर दावे प्राप्त न होने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने और निधियों का उपयोग

(b) "Indo-Pak Border Works" – saving of ₹5014.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19704.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals.

(c) "Indo-China Border" – saving of ₹2979.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30800.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of Hi-Tech equipments and slow progress of work by the Border Road Organisation.

(d) "Indo-Myanmar Border Works" – saving of ₹1237.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of roads on border areas owing to non-receipt of clearance from Ministry of Environment and Forests and the Supreme Court.

(I) "Coastal Security" –

(a) "Assistance to States for Coastal Security" – saving of ₹5608.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18271.80 lakhs including token supplementary grant of ₹0.80 lakh) was due to re-appropriation of funds for machinery and equipment to Coastal Security.

(b) "Assistance to Union Territories for Coastal Security"– saving of ₹973.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals.

(J) "Other Police Organisation" -

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" – saving of ₹391.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹701.00 lakhs) was due to non-receipt of wireless equipment claims from Directorate General of Supplies and Disposals, slow progress of work by Central Public Works Department and

करने में पुदुचेरी सरकार द्वारा असमर्थता जताए जाने के कारण हुई।

inability shown by the Government of Puducherry to utilise the funds.

(ख) "केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला" - ₹3062.49 लाख की बचत (₹3633.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने, निष्पादनकारी अभिकरणों द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से हाल में स्थापित उच्च तकनीक वाली न्यायिक प्रयोगशाला की जमीनों के मूल्य की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Central Forensic Science Laboratory" – saving of ₹3062.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3633.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals, slow progress of work by the executing agencies and non-payment of the price of the lands of newly established Hi-Tech Forensic Laboratories owing to non-receipt of approval from the competent authority.

(ग) "आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक" - ₹445.94 लाख की बचत (₹533.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और हाल में स्थापित उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाओं की जमीनों के मूल्य की अदायगी के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Govt. Examiner of Questioned Documents" – saving of ₹445.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹533.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals and non-receipt of approval from the competent authority for payment of the price of the lands of newly established Hi-Tech Laboratories.

(घ) "राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो" - ₹426.75 लाख की बचत (₹452.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से निदर्शन प्रयोगशाला के लिए बहुउद्देशीय वाष्प कक्ष की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और जमीन का अधिग्रहण न होने के कारण हुई।

(d) "National Crime Records Bureau" – saving of ₹426.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of Multipurpose Fuming Chamber for Demo Lab owing to non-receipt of approval from the Competent Authority and non-acquisition of land.

(ङ) "केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)"- ₹250.21 लाख की बचत (₹333.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए वैज्ञानिक उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(e) "Central Forensic Science Laboratory (CBI)" – saving of ₹250.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹333.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for procurement of scientific equipments for various laboratories.

(च) "अनुसंधान" - ₹146089.31 लाख की बचत (₹240000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(f) "Research" – saving of ₹146089.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹240000.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals owing to non-receipt of approval from the Competent Authority.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹60.42 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 76 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹60.42 lakhs occurred constituting 76 percent of the sanctioned provision.

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7718.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹60402.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

6.(I) The above savings were partly (₹7718.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹60402.00 lakhs and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants – under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - कार्यालय भवन" - ₹247.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2883.25 लाख था।

(A) "Central Reserve Police - Office Buildings"- ₹247.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2883.25 lakhs.

(खा) "असम राइफल्स - आवासीय भवन" - ₹641.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1268.26 लाख था।

(B) "Assam Rifles – Residential Buildings" – ₹641.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1268.26 lakhs.

(गा) "तटीय सुरक्षा - तटीय सुरक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" - ₹6830.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6803.09 लाख था।

(C) "Coastal Security – Assistance to State/UTs for Coastal Security" – ₹6830.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6803.09 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following heads :-

(का) "केन्द्रीय आरक्षी पुलिस - आवासीय भवन" - ₹815.58 लाख का अधिक व्यय (₹14900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Central Reserve Police – Residential Buildings" – excess of ₹815.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14900.00 lakhs);

(खा) "असम राइफल्स" -

(B) "Assam Rifles" –

(क) "कार्यालय भवन" - ₹2719.44 लाख का अधिक व्यय (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Office Buildings" - excess of ₹2719.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs);

(ख) "सीमा चौकी" - ₹253.39 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(b) "Border Out Post" – excess of ₹253.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(गा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - कार्यालय भवन" - ₹1406.76 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(C) "National Security Guard – Office Buildings" – excess of ₹1406.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs);

(घा) "औद्योगिक सुरक्षा बल - कार्यालय भवन" - ₹169.95 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ङ) "अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" - ₹786.54 लाख का अधिक व्यय (₹2650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(चा) "सशस्त्र सीमा बल - कार्यालय भवन"- ₹3599.57 लाख का अधिक व्यय (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और गेजिंग, बीरपुर, हरकतियागंज तथा सपरी में बटालियनों के लिए भूमि का समयबद्ध अधिग्रहण करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) "Industrial Security Force – Office Buildings" – excess of ₹169.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs including supplementary grant of ₹2500.00 lakhs); and

(E) "Research, Education and Training – National Police Academy" – excess of ₹786.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2650.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to requirement of additional funds to complete ongoing projects.

(F) "Sashastra Seema Bal – Office Buildings"– excess of ₹3599.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to complete ongoing projects and time bound acquisition of land for battalions at Gayzing, Birpur, Harkatiaganj and Sapri.